

Group 'D' post lying vacant in Sports Authority of India, New Delhi

3341. SHRI GAUFARAN AZAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that a good number of vacancies in Group 'D' post have been lying vacant in the Sports Authority of India, New Delhi since long;

(b) whether it is also a fact that candidates sponsored by the Employment Exchange have been waiting in queue for their interview/selection since long; and

(c) if so, what action has been taken by the Authority concerned to fill up the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) 28 Group 'D' posts are lying vacant in Sports Authority of India. Out of these, it has been decided not to fill 18 posts on account of the recent Government instructions for observing economy in expenditure.

Another 45 posts of Safaikaramachari created for taking over the conservancy work of I.G. Stadium, New Delhi, from DDA and 17 posts created for running the Canteen in J.N. Stadium, New Delhi departmentally, have not been filled up because neither the conservancy work has been taken over from DDA, nor the Canteen at J. N. Stadium is being run departmentally on account of economy instructions.

(b) The Employment Exchange was notified of some of the vacancies as above in January, 1992. The names

were also sponsored in April, 1992. In view of the economy measures advised by the Government, the candidates were not called for interview. The Employment Exchange has been informed accordingly.

(c) Does not arise.

ग्रामीण शिक्षा हेतु आवंटन में कमी

3342. श्री राजूभाई ए. परमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ग्रामीण शिक्षा हेतु आवंटन में कमी की गई है, जिसके कारण ग्रामीण शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में व्योरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यह राशि वर्ष-वार कितनी-कितनी थी, और

(घ) चालू वर्ष में आवंटन में कमी किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास देश में शिक्षा के समग्र विकास का एक भाग होता है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अलग से धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता। प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लाभ, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त होते हैं। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम को छोड़कर शिक्षा के लिए केंद्रीय योजनागत आवंटन, 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में क्रमशः 865 करोड़ रुपये, 977 करोड़ रुपये और 952 करोड़ रुपये है।

संसाधनों के अभाव, और सरकार के, राज्य की योजनाओं की केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के निर्णय से, 1991-92 की तुलना में 1992-93 में शिक्षा के लिए केंद्रीय योजनागत परिव्यय में थोड़ी-सी कमी आई है।

केंद्रीय योजनागत परिव्यय में हुई कमी की, राज्य योजनागत सेक्टर में आबंटन बढ़ने से, कुछ हद तक, पूर्ति हो गई है।

निधियों का दुरुपयोग किया जाना

3343. श्री राजूभाई ए. परमार :

श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुदान प्राप्त करने वाली कुछ संस्थाएँ उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं करती है जिसके कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और शैक्षिक योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने संगठनों का पता लगाया गया है ; और

(ग) उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सिकांरिश पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, को अनुदान दिए जाते । तथापि, संयुक्त मूल्यांकन दल, जिनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और बाहर के विशेषज्ञ होते हैं, इन स्वैच्छिक संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं । संयुक्त मूल्यांकन दलों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 86 स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इसी प्रकार, गैर-औपचारिक शिक्षा को योजना के अंतर्गत, अब तक एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इन मामलों में दिए गए अनुदानों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

गांवों में युवा विकास केन्द्र

3344. श्री ईश बल यादव : : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और इन केन्द्रों में किये जाने वाले प्रस्ताविक कार्य का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किन-किन गांवों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य-क्रम और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रचार (कु. समता बनर्जी) :

(क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक दस गांवों के समूह के लिए एक की दर से 18,000 युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन युवा विकास केन्द्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना, खेल, प्रशिक्षण तथा युवा कार्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध होगी । केन्द्र के लिए भूमि सम्बन्धित पंचायतों द्वारा दान की जायेगी । पारस्परिक श्रम तथा सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र के लिए भवन और बुनियादी खेल सुविधाओं का निर्माण आरम्भ किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र का प्रबंध संघटक गांवों के युवाओं से गठित की गई युवा समितियों द्वारा किया जायेगा । संचालन और रखरखाव संबंधी व्यय की उगाही समिति करेगी ।

(ग) किन-किन गांवों में कितने युवा विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता